कार्यालय सहायक आयुक्त
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संभाग-E, पाली
TDM बिल्डिंग, BSNL , महावीर नगर, पाली -306401
ई-मेल : dc-pali-e@gov.in

फा.सं. I(22)02 / प्रशा. / MV/ pali-e / 2021 / दिनांक 23.03.2021

वाहन किराये पर लेने हेतु ई–निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति महोदय की ओर से, इस इस कार्यालय के उपयोग के लिए वित्तिय वर्ष 2021–22 के लिए मासिक किराया आधार पर वाहन चालको सहित, वाहनों की आपूर्ति करने वाले प्रतिष्ठित सेवाप्रादाताओ / ऐजेंसियों जिन्हें सरकारी कार्यालयों में कम से कम एक वाहन की आपूर्ति करने / सेवाओ का अनुभव है और इस निविदा सूचना के नियम एवं शर्तो को पालन करने का इच्छुक है, वे **दिनांक 15.04.2021 को 16.00 बजे** तक या उससे पहले अपनी निविदायें ऑनलाईन जमा कर सकते है।

1- निविदा के साथ नियम एवं शर्ते (Annexure A), तकनिकी निविदा / बोली (Annexure B), BOQ Format में वित्तीय निविदा (Annexure C), निविदा स्वीकृति पत्र (अनुलग्नक 'D') संलग्न होने चाहिए। तकनिकी निविदाओ में दस्तावेजो के साक्ष्य जैसे कारों के निर्माण का वर्ष, सरकारी कार्यालयों / ऐजेंसियों को वाहन अनुबंध के आधार पर लगाने के पिछले अनुभव, जी.एस.टी. पंजीकरण संख्या आदि संलग्न किये जाये। वित्तिय निविदा / निविदायें केवल तभी ली / खोली जायेगी जब तकनिकी निविदाएं संतोषजनक होगी अन्यथा निविदा / निविदायें अस्वीकार कर दी जायेगी। निविदा सूचना का विवरण केन्द्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (CPPP) की वेबसाइट https://eprocure.gov.in/eprocure/app, https://eprocure.gov.in/epublish/app एवं https://cgstjaipur.gov.in पर उपलब्ध है।

2- अनुबंध के आधार पर किराये पर लिये जाने वाले वाहनों का विवरण निम्नानुसार है–

Sr. No	*Type of Vehicle*	*Premises*	*No. of Vehicle required*	*Usage*	*Estimated amounts (Per month)*
1	Small size vehicle for use as Operational Vehicle (Etios, platinum, Ciaz etc.)	Office of the Assistant Commissioner, Central Goods & Service Tax, Division-E, TDM Building, BSNL, Mahavir Nagar, Pali 306401	01 (One)	To be used upto 25/26 days subject to a maximum of 2000 kms in a month.	Rs. 40,000

3- दस्तावेज डाउनलोड

निविदा दस्तावेज केन्द्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (*CPPP*) की वेबसाइट *https://eprocure.gov.in/eprocure/app,* से डाउनलोड किये जा सकते है। इच्छुक सेवाप्रादाता / ऐजेन्सी जिन्होने ई–प्रोक्योरमेंट में नामांकन / पंजीकरण नहीं करवा रखा है, वे निविदा के माध्यम से भाग लेने से पूर्व नामांकन / पंजीकरण करवा ले। पोर्टल पर नामांकन मुफ्त है। निविदादाताओ को CPPP पोर्टल पर दिये गये निर्देशों के माध्यम से जाने की सलाह दी जाती है।

निविदा प्रस्तुत करने एवं प्रसंस्करण (*processing*) की तिथियां निम्नप्रकार से है:–

Published Date	23.03.2021 (04.00 P.M.)
Bid Document Download Start Date	23.03.2021 (06.00 P.M)
Bid Submission Start Date	23.03.2021 (06.00 P.M)
Bid Document Download End Date	15.04.2021 (02:00 P.M.)
Bid Submission End Date	15.04.2021 (04:00 P.M.)
Technical Bid Opening Date	16.04.2021 (04:00 P.M.)
Financial Bid Opening date (Those bidders who have qualified in the Technical Bids)	Will be intimated to Technically qualified firms

4. निविदा प्रस्तुत करना

निविदा केवल *CPPP* वेबसाइट *https: //eprocure.gov.in/eprocure/app* पर ऑनलाइन जमा की जायेगी।

1. निविदाकर्ता वेबसाइट पर, निविदा दस्तावेजों तक पहुंच सकते है एवं उसमें सभी संबंधित जानकारियां भर सकते हैं और पूर्ण निविदा दस्तावेज को इलेक्ट्रोनिक निविदा में *https://eprocure.gov.in/eprocure/app* वेबसाइट पर प्रस्तुत कर सकते है।
2. निविदाओ एवं अन्य संबंधित दस्तावेजो को ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल के माध्यम से अपलोड किया जायेगा। निविदा दस्तावेजो की हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं की जायेगी।
3. निविदाएं दो भागो में अर्थात तकनिकी निविदा एवं वित्तीय निविदा में ऑनलाईन प्रस्तुत की जायेगी।
4. प्रस्तुत की जा रही निविदा के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर होने चाहिए। फैक्स या ईमेल द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इस मामले में कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।

5. अमानत राशि *(EMD)*

निविदाकर्ता को निविदा के साथ राषि रू. 10,000/– अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रषासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), केन्द्राय वस्तु एवं सेवाकर संभाग-डी, पाली के नाम जो एस.बी.आई., पाली में देय हो, की हार्ड कॉपी (मूल प्रति) तकनिकी निविदा खोलने की तिथि या उससे पूर्व जमा करानी होगी। तकनिकी निविदा खोलने पर या उससे पहले अमानत राशि *(EMD)* की हार्ड कॉपी (मूल डीडी) प्राप्त नहीं होने पर निविदाओं को गैर उत्तरदायी माना जायेगा एवं प्रारम्भिक चरण में ही खारिज कर दिया जायेगा। यदि चयन प्रक्रिया के दौरान सफल निविदादाता की तकनीकी एवं वित्तीय निविदा में अपूर्ण/गलत सूचनाए पाई गई या सफल निविदादाता द्वारा अपनी निविदा वापिस लेने का अनुरोध किया गया तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा करवाई गई अमानत राशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जायेगी। असफल निविदादाता को चयन प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद बिना ब्याज के अमानत राषि लौटा दी जायेगी।

सहायक आयुक्त, 23.3.2021
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर
संभाग-ई, पाली

सहायक आयुक्त
के.व. एवं से.क. संभाग–E
पाली

ANNEXURE -A

निविदा के नियम एवं शर्तें

1. सेवाप्रादाता को एकल स्वामित्व/साझेदारी पंजीकृत फर्म/कम्पनी होना चाहिए और वाहन पंजीकृत होना चाहिए।
2. फर्म का ऑफिस/अधिनस्थ ऑफिस पाली (राजस्थान) में होना चाहिए एवं इस आशय का प्रमाण पत्र तकनिकी निविदा के साथ अपलोड किया जाये।
3. तकनिकी निविदायें संतोषजनक पाये जाने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी। साथ ही *Small Size Vehicle* में *L-1* में प्रस्तुत दर के आधार पर भी तय की जायेगी व इस संदर्भ में इस कार्यालय का निर्णय अंतिम होगा।
4. निविदा दस्तावेजे में दिए गए सभी नियमों एवं शर्तो को पूर्ण करते हुए, मासिक आधार पर सबसे कम बोली लगाने वाले सेवाप्रादाता को अनुबंध दिया जायेगा। यह कार्यालय सुरक्षा के लिए, सफल सेवाप्रादाता द्वारा अपेक्षित संख्या में वाहन प्रदान करने में विफलता के विरूद्ध अन्य सेवाप्रादाताओ को जो *L-1* (फर्म जिसने सबसे कम दरों पर वाहन किराये पर देना प्रस्तावित किया है), को समान नियमों एवं शर्तो के अनुसार सेवा प्रदान करने के लिए तैयार हो को सूचिबद्ध कर सकता है एवं अनुबंध कर सकता है।
5. किराये पर लिए जाने वाले वाहनों की संख्या/आवश्यकताओं को विभागीय आवश्यकतानुरूप संशोधित करने का अधिकार इस कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। इस कार्यालय को जितने वाहनों की आवश्यकता होगी निविदादाता को उपलब्ध करवाना होगा।
6. विभाग को उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहन नये मॉडल के होने चाहिए (वाहन **अप्रेल, 2019** से अधिक पुराने नहीं होना चाहिए)। वाहन अच्छी चालू कंडीशन में सुसज्जित होनी चाहिए एवं इसमें साफ, सफेद सीट कवर/तौलिये एवं वाहन संचालन के लिए परिवहन विभाग या अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी आवश्यक परमिट/स्वीकृति होनी चाहिए। उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आवश्यक प्रदूषण प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।
7. अनुबंध पर लगाये जाने वाले वाहन का उपयोग केवल इस कार्यालय के लिए ही होगा, सेवाप्रादाता द्वारा इसका उपयोग किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
8. यदि आवश्यक हुआ तो वाहन रविवार एवं अन्य राजकीय अवकाशों सहित सभी दिनों में उपलब्ध करवाना होगा।
9. वाहन संचालन की गणना रिर्पोटिंग बिन्दु से गन्तव्य बिन्दु (जगह) तक होगी ना कि गैराज से गैराज के आधार पर। इस प्रयोजन के लिए, सेवाप्रादाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहन/वाहनों का ओडोमीटर ठीक तरह से सील किया हुआ है। किसी भी संदेह के मामले में इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी को सेवाप्रदाता के स्वयं के खर्चे पर किसी भी अधिकृत वर्कशॉप से वाहन के ओडोमीटर की जांच करवायी जा सकती है।
10. सेवाप्रादाता द्वारा किन्हीं भी परिस्थितियों में वाहन चलाने के लिए एलपीजी सिलेंडर का उपयोग नहीं किया जायेगा।
11. सेवाप्रादाता को तैनात किये जाने वाले वाहन चालको के नाम, पते एवं मोबाईल नम्बर आदि संबंधित प्राधिकारी को बताने होंगे। इस कार्यालय में नियुक्त/तैनात किये जाने वाले चालको के विरूद्ध पुलिस रिकार्ड में कोई आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए तथा इस कार्यालय की सेवाओ के लिए तैनात करने से पूर्व वाहन चालको के चरित्र की जानकारी/पूछताछ आदि सेवाप्रादाता को करनी होगी।
12. वाहन चालक को ड्यूटी समय में सभी शिष्टाचार और प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। उन्हें निर्धारित वर्दी पहननी होगी तथा मोबाईल फोन रखना होगा जिसके लिए इस कार्यालय द्वारा कोई अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा।
13. ड्यूटी पर तैनात वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिये। लापरवाही से वाहन चलाने के लिए उन्हें दो से अधिक चालान किया हुआ नहीं होना चाहिए। सेवाप्रादाता को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनसे सम्पर्क स्थापित करने हेतु चौबीसों घंटे सेवाए देने की व्यवस्था होनी चाहिए, इस उद्देश्य के लिए, उनके पास पर्याप्त संख्या में मोबाईल/दूरभाष नम्बर होने चाहिए।

14. इस कार्यालय में बजट की उपलब्धता के अनुसार बकाया बिलों का भुगतान किया जायेगा, लेकिन वाहन मालिक द्वारा हर महीने की सात तारीख तक वाहन चालक को वेतन का भुगतान करना होगा। बकाया बिलों के भुगतान में विलम्ब होने पर कोई अतिरिक्त राशि इस कार्यालय द्वारा प्रदान नहीं की जायेगी।
15. यह कार्यालय किसी भी चालान, हानि, क्षति या वाहन के किसी भी तरह की दुर्घटना या किसी अन्य वाहन के या अन्य वाहन के चालक या किसी अन्य तीसरे पक्ष को चोट आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इस मामले में किसी भी तरह के नुकसान, क्षति या कानूनी खर्च के लिए सेवाप्रादाता ही जिम्मेदार होगा एवं सभी व्यय सेवाप्रादाता द्वारा ही वहन किया जायेगा।
16. वाहन चालक को रोड और मार्गो की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए तथा मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमों के अनुसार वाहन के संचालन की जानकारिया होनी चाहिए।
17. वाहन चालक को ड्यूटी अवधि के पूर्ण अविधि के दौरान वाहन के साथ रहना होगा। इस संबंध में यदि किसी तरह की आवश्यकता के मामले, तो संबंधित प्राधिकारियों से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।
18. वाहन चालक को, वाहन चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जो कि उनके ड्राइविंग लाइसेंस के जारी होने की तारीख से सत्यापित होना चाहिए।
19. कार्यसमय के दौरान वाहन के संचालन में किसी भी तरह के अवरोध होने पर, सेवाप्रादाता को उसके स्थान पर तुरन्त उसके समकक्ष अन्य वाहन की व्यवस्था करवानी होगी। ऐसे मामले में, गैराज से ड्यूटी स्थल तक के व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा।
20. वाहन के अनुबंध की अवधि के दौरान, इस कार्यालय के अनुरोध के बिना तैनात किये गये वाहन चालक को बदला नहीं जायेगा।
21. प्रत्येक वाहन के संचालन के लिए लॉग बुक रखी जायेगी जिसमें संचालन का समय, तय की गई दूरी एवं स्थान का दैनिक रिकार्ड रखा जायेगा जिसे इस कार्यालय के संबंधित प्राधिकारी से दैनिक रूप से सत्यापित करवाना होगा एवं बिलों के भुगतान के लिए जांच हेतु साथ में प्रस्तुत करना होगा एवं सत्यापित प्रति लगानी होगी।
22. प्रतिमाह ऑपरेशनल वाहन अधिकतम 2000 किलोमीटर संचालित करवानी होगी एवं बिलिंग इससे ज्यादा किलोमीटर की नही होगी। इस कार्यालय द्वारा किसी तरह का टोल टैक्स या अन्य करो का भुगतान नहीं किया जायेगा। यह सेवाप्रादाता द्वारा वहन किया जायेगा।
23. प्रतिमाह ऑपरेशनल वाहन अधिकतम 2000 कि.मी. संचालित होगा एवं बिलिंग इससे ज्यादा कि.मी. नहीं होगी। यदि किसी माह में वाहन 2000 कि.मी. से कम/ज्यादा चलता है तो वास्तविक अन्तर के बराबर कि.मी. वर्ष के अगले महीनों में समायोजित किया जायेगा।
24. तैनात किये जाने वाले वाहन चालको के वेतन, भत्ते एवं सभी तरह के व्यय सेवाप्रादाता द्वारा वहन किये जायेंगे तथा वाहन से संबंधित सभी व्यय यथा बीमा, रखरखाव, ईधन आदि भी सेवाप्रादाता द्वारा ही वहन किये जायेंगे।
25. सेवाप्रदाता द्वारा विभाग में लगाये गये वाहन चालको की लापरवाही से किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना या शारिरिक चोट/मृत्यु या सम्पति व सार्वजनिक सम्पति के नुकासान के सभी तरह के हर्जाना, शस्ति, क्षतिपूर्ति आदि की मांग के दावों के लिए सेवाप्रादाता उत्तरदायी होगा।
26. सेवाप्रादाता किसी भी दिन ड्यूटी के लिए वाहन उपलब्ध नहीं करवाता या वाहन चालक देरी से ड्यूटी पर उपस्थित होता है या निविदा के किसी भी अन्य प्रावधान का उल्लघंन करता है, तो प्रति दिन, अनुपातिक आधार पर गणना कर उतनी राशि उनके मासिक बिल से काट ली जायेगी तथा सेवाप्रादाता को इस तरह के प्रति मामले में प्रतिदिन, प्रति वाहन रू. 500/– शास्ति लगाई जायेगी जो उसके मासिक बिल का काट ली जायेगी।
27. यदि वाहन वांछित स्थान पर उपलब्ध नहीं करवाये जाते है तो प्रति वाहन रू. 500/– शास्ति लगाई जा सकती है इसके अलवा अनुबंध भी समाप्त किया जा सकता है।
28. सम्पूर्ण अवधि के दौरान सेवाप्रादाता द्वारा निविदा/अनुबंध के अनुसार मेक/मॉडल का वाहन उपलब्ध करवायेगा। इस कार्यालय द्वारा आपातकालीन एवं असाधारण परिस्थितियों में, इस शर्त में इस शर्त को अस्थायी रूप में छूट दी सकती है।

29. यदि सेवाप्रादाता निविदा/अनुबंध के अनुसार वांछित गुणवता की सेवाए प्रदान नहीं करता है तो इस कार्यालय द्वारा 15 दिनों का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है एवं अन्य समान सेवाप्रादाताओ को उन्हीं नियमो एवं शर्तो पर कार्य आदेश दिया जा सकता है।
30. आयकर अधिनियम की धारा 194 (सी) के नियमों के तहत, इस कार्यालय द्वारा मासिक बिलो में से देय आयकर की कटौती कर भुगतान किया जायेगा जिसका सेवाप्रादाता को इस आशय का उपयुक्त टीडीएस प्रमाण पत्र दे दिया जायेगा।
31. सेवाप्रादाता को, पिछले माह के जी.एस.टी. का भुगतान करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही जी.एस.टी. का भुगतान किया जायेगा।
32. असंतोषजनक सेवाओ के मामले में, इस कार्यालय द्वारा समय पूर्व अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा।
33. डीजल, ऑयल, स्पेयर पार्टस् आदि की दरो में परिवर्तन होने पर किराये की स्वीकृत दर अपरिवर्तित रहेगी।
34. सफल निविदादाता की निविदा स्वीकृति होने पर, एजेन्सी को कार्य आदेश देने की तिथि के एक माह के भीतर–भीतर, अनुबंध की सम्पूर्ण अवधि की मुल्य राशि के 5 प्रतिशत के बराबर performance security के रूप में, व्यावसायिक बैंक की, बैंक गारन्टी/एफ.डी.आर/डिमाण्ड ड्राफ्ट जो अनुबंध समाप्त होने के 60 दिनों के बाद की अवधि तक वैध होगी, 'प्रशासनिक अधिकारी(डी.डी.ओ), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग-डी, पाली " के नाम जमा करवाना होगी जो संविदा समाप्त होने के पष्चात बिना ब्याज के निविदादाता को लौटा दी जायेगी। अनुबंध की अवधि के दौरान सेवाप्रादाता की सेवाये असंतोषजनक पाई जाती है या अनुबंध/निविदा की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है या सेवाप्रदाता के कर्मचारियों की लापरवाही से किसी तरह का नुकसान होता है तो विभाग सेवाप्रादाता/फर्म के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के साथ–साथ *performance security* जब्त कर ली जायेगी।
35. अनुबंध की अवधि के दौरान जिन शर्तो/मामलो का उल्लेखित नहीं किया गया है, उन मामलो/शर्तो के संबंध में इस कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा लिये गये निर्णय अंतिम एवं मान्य होंगे।
36. इस कार्यालय द्वारा कोई भी सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी, सशर्त निविदायें अस्वीकार कर दी जायेगी।
37. किसी भी प्रकार के विवाद में या किसी भी मामले में आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग-डी, पाली का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
38. सेवाप्रादाता द्वारा कम से कम दो माह की अग्रिम सूचना देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

मै/हम उपरोक्त नियमों एवं शर्तो से सहमत हूँ/है।

हस्ताक्षर मय तिथि ....

हस्ताक्षरकर्ता का नाम ....
फर्म का नाम ....
मोहर ....

TECHNICAL BID
QUALIFYING CRITERA FOR QUOTATION

1.	फर्म / एजेंसी का नाम				
2.	पूर्ण पता				
3.	संपर्क व्यक्ति का विवरण (नाम / पता)				
4.	फोन न. /ई-मेल पता				
5.	ठेकेदार के पास उपलब्ध कारों की संख्या / मॉडल				
6.	उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन का विवरण / मॉडल (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)				
7.	वाहन के टैक्सी परमिट का ब्यौरा (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)				
8.	वाहन के फिटनेस सर्टिफिकेट, पर्यावरण एवं अदेयता प्रमाण पत्र का ब्यौरा (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)				
9.	वाहन के बीमा प्रमाण पत्र का ब्यौरा(प्रमाण-पत्र संलग्न करें)				
10.	आयकर पेन सं. (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)				
11.	GST पंजीकरण सं. (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)				
12.	वाहन उपलब्ध कराने संबंधित कार्यानुभव के वर्षो की संख्या (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)				
13.	उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन चालक की योग्यता एवं अनुभव(प्रमाण-पत्र संलग्न करें)				
	वाहन चालक का नाम	शैक्षणिक योग्यता	वाहन चलाने का अनुभव	विशेष विवरण	
14.	पूर्व में लिए गये ठेकों का विवरण (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)				
15.	EMS का विवरण				

Note: - Non-qualification in above criteria will result in disqualification of bid.

DECLARATION

I hereby certify that the inofrmation furnished above is true and correct to the best of my/over knowledge. I understand that in case any deviation is found in the above statement at any stage, I/we will be blacklisted and will not have any dealing with the Department in future.

(Signature of Authorized Signatory with dagte)

The following documents are to be furnished/uplpoaded by the Service Provider alongwith Technical Bid as above.

i) Signed and scanned copy of proof for payment of Earnest Money Deposit.
ii) Signed and Scanned copy of Certificates like PAN No., GST Registration (if applicable),
iii) Signed and Scanned Copy of Tender Acceptance letter to submit bid.
iv) An undertaking (Self certificate) that the agency hasn't been blacklisted by a Central/ State/UT Government institution and there has sbeen no litigation with any Government Department on account of IT Services.
v) Signed and Scanned copy of Terms & Conditions & Technical Bid formate.

ANNEXURE-C

FINANCIAL BID

PRICE BID

(a) Price bid undertaking

(b) Schedule of price bid in the form of BOQ_XXXX .xls

PRICE BID UNDERTAKING

From: (Full name and address of the Bidder) ______________________
____
____

To,

Dear Sir/Madam,

I submit the Price Bid for______________________________________ and related activities as envisaged in the Bid document.

2. I have thoroughly examined and understood all the terms and conditions as contained in the Bid document, and agree to abide by them.

3. I offer to work at the rates as indicated in the price Bid, Annexure B inclusive of all applicable taxes.

4. I/We undertake that I /We have carefully studied all terms and conditions of the tender and shall abide by them. Further, it is certified that I/We have never been blacklisted by any Govt./PSU Department.

Yours Faithfully,

Signature of authorized Representative:

TENDER ACCEPTANCE LETTER
(To be given on Company Letter Head)

To,

____

____

____

Sub: Acceptance of Terms & Conditions of Tender.

Tender Reference No: ________________________

Name of Tender / Work: -

____

____

____

____

Dear Sir,

1 . I/ We have downloaded / obtained the tender document(s) for the above mentioned 'Tender/Work' from the web site(s) namely:

____

____

as per your advertisement, given in the above mentioned website(s).

2. I / We hereby certify that I / we have read the entire terms and conditions of the tender documents from Page No. _______ to ______ (including all documents like annexure(s), schedule(s), etc .,), which form part of the contract agreement and I / we shall abide hereby by the terms / conditions / clauses contained therein.
3. The corrigendum(s) issued from time to time by your department/ organisation too have also been taken into consideration, while submitting this acceptance letter.
4. I / We hereby unconditionally accept the tender conditions of above mentioned tender document(s) / corrigendum(s) in its totality / entirety.
5. In case any provisions of this tender are found violated, then your department/ organisation shall without prejudice to any other right or remedy be at liberty to reject this tender/bid including the forfeiture of the full said earnest money deposit absolutely.

Yours Faithfully,

(Signature of the Bidder, with Official Seal)

NATION TAX MARKET

कार्यालय सहायक आयुक्त
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संभाग-E, पाली
TDM बिल्डिंग, BSNL , महावीर नगर, पाली -306401
ई-मेल : dc-pali-e@gov.in

फा.सं. I(22)02 / प्रशा. / MV/ pali-e / 2021 / दिनांक 23.03.2021

वाहन किराये पर लेने हेतु ई–निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति महोदय की ओर से वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कार्यालय सहायक आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संभाग-E, TDM बिल्डिंग, BSNL, महावीर नगर, पाली -306401 में स्थित कार्यालय को अनुबंध के आधार पर किराये पर एक ऑपरेशनल व्हीकल (Small Size) उपलब्ध करवाने हेतु इच्छुक सेवाप्रदाताओ / ऐजेन्सीयों से Online E-procurement द्वारा दिनांक 15.04.2021 को अपरान्ह 04.00 बजे तक निविदाये आमंत्रित की जाती है।

विस्तृत जानकारी एवं निविदा प्रपत्र एवं शर्तो का विवरण विभागीय वेबसाईट http://eprocure.gov.in(CPPPortal)/ अथवा cgstjaipur.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

2. इस कार्यालय को किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओ को, बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इस विज्ञप्ति में किसी भी संशोधन / बदलाव का प्रकाशन केवल उक्त वेबसाईटस् पर ही जारी किया जायेगा, न्यूज पेपर में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

(गोपाल ~~जंगी~~) 23.3.2021
सहायक आयुक्त
के.व. एवं से.क. संभाग-E
पाली

प्रतिलिपि –
1. अधीक्षक (कम्प्यूटर), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट में प्रकाशन हेतु।
2. संपादक, राजस्थान पत्रिका, पाली को उक्त निविदा सूचना, पाली संस्करण में न्यूनतम साईज में डी.ए.वी.पी. दर पर प्रकाशन हेतु।
3. नोटिस बोर्ड